न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 04/2021 (2021/13) दर्ज दिनांक 07.01.2021
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. भंवरलाल आत्मज नारू कुम्हार
2. शांतिलाल आत्मज नारू कुम्हार
   सर्व निवासी डेलाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. बबलु आत्मज सोहन कुम्हार
2. मोहनी देवी पत्नि सोहन कुम्हार
3. रतनलाल आत्मज जगरूप कुम्हार
4. हीरा दत्तक पुत्र जीतु कुम्हार
5. देवकिशन आत्मज मोहन कुम्हार
6. मांगी पत्नि मोहन कुम्हार
   सर्व निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. देवीलाल आत्मज सोहन कुम्हार निवासी डेलाना हाल न्यु लक्ष्मीनगर, धार रोड़ इन्दौर (एम0पी0)
8. राजी पत्नि सरेहन कुम्हार निवासी डेलाना हाल न्यु लक्ष्मीनगर, धार रोड़ इन्दौर (एम0पी0)
9. भंवर आत्मज सोहन कुम्हार निवासी डेलाना हाल मातेष्वरी फलहारी खिचड़ी, गंगापुर रोड़, आजाद नगर चौराया भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगणः— श्री कल्याणमल कुम्हार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः—22.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम डेलाना पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण एवं मृतक खातेदार सोहन आत्मज नारू कुम्हार के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काष्त की आराजियात संख्या 1488 रकबा 0.15 हे0, 1489 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.30 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 382 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.25 17:17:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेष किये गये। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाना पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण एवं मृतक खातेदार सोहन आत्मज नारू कुम्हार के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काष्त की आराजियात संख्या 1488 रकबा 0.15 हे0, 1489 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.30 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 382 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काष्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेष करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.25 17:17:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner